

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड
फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39
विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग
मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन
पाटनी पुत्र सुभाषपाटनी जाति जैन निवासी,
सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर

बनाम

1. बुद्धालाल पुत्र नाथूलाल
2. घासी पुत्र नाथूलाल
3. सीताराम पुत्र रामफूल
4. मन्नी देवी पत्नि रामफूल
समस्त जाति कुम्हार निवासी
ग्राम जटवाडा
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी
6. राज. सरकार जरिये उप पंजियक
बस्सी
7. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
शाखा जटवाडा जरिये मेनेजर।

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नम्बर 14/16

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में पेश हुई।
वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा ने की है।
केम्प कोर्ट जटवाडा में मौके पर ही तहसीलदार बस्सी को वादी द्वारा कय शुदा भूमि के खसरा नम्बरों
के कुरैजात बनाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बस्सी से कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल
मिसल है, पक्षकारान को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुरैजात व नक्शे पर सुना गया। प्रतिवादीगण
द्वारा उक्त कुरैजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर कुरैजात अनुसार दावा डिकी करने
हेतु निवेदन किया। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व पक्षकारान द्वारा कुरैजात पर सहमति जाहिर करने एवं
उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु
गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी
ख0न0 426/1, 701/12, 701/13, 701/14, 701/6, 1411/545, 1412/545, 1413/545,
1417/547, 1418/547, 1419/547, 1550/701, 1551/701, 1552/701, 1553/701,
1554/701 कुल किता 16 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा आपके ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला
जयपुर में से ख0न0 1686/701/6, 1687/701/14, 1688/1552/701, 1689/1550/701 कुल
किता 4 कुल रकबा 1.14 बीघा भूमि खातेदार मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत
कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन
पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर के
हिस्से में रहेगी तथा ख0न0 701/6, 701/12, 701/13, 701/14, 1550/701, 1551/701,
1552/701, 1553/701, 1554/701 कुल किता 9 कुल रकबा 5.02 बीघा भूमि खातेदार घासी पुत्र
नाथूलाल हि. 1/3 बिना रहन सीताराम पुत्र रामफूल मन्नी देवी पत्नि स्व. रामफूल हि. 2/3 कोम
कुम्हार सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय व
डिकी की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा
में मजमे आम में सुनाया गया


सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी बस्सी जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व
अलजास.दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|---|------|---|
| 1. मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र सुभाषपाटनी जाति जैन निवासी, सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर | बनाम | 1. बुद्धालाल पुत्र नाथूलाल
2. घासी पुत्र नाथूलाल
3. सीताराम पुत्र रामफूल
4. मन्नी देवी पत्नि रामफूल समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम जटवाडा
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी
6. राज. सरकार जरिये उप पंजियक बस्सी
7. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जटवाडा जरिये मेनेजर। |
|---|------|---|

दावा बाबत तकसमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 14/16

निर्णय दिनांक 14.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 426/1, 701/12, 701/13, 701/14, 701/6, 1411/545, 1412/545, 1413/545, 1417/547, 1418/547, 1419/547, 1550/701, 1551/701, 1552/701, 1553/701, 1554/701 कुल किता 16 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख0न0 1686/701/6, 1687/701/14, 1688/1552/701, 1689/1550/701 कुल किता 4 कुल रकबा 1.14 बीघा भूमि खातेदार मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर के हिस्से में रहेगी तथा ख0न0 701/6, 701/12, 701/13, 701/14, 1550/701, 1551/701, 1552/701, 1553/701, 1554/701 कुल किता 9 कुल रकबा 5.02 बीघा भूमि खातेदार घासी पुत्र नाथूलाल हि. 1/3 बिना रहन सीताराम पुत्र रामफूल मन्नी देवी पत्नि स्व. रामफूल हि. 2/3 कोम कुम्हार सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।निजी..... मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.18 को जारी किया गया।



दस्तख्त.....

ओहदा.....

Smch
14.5.18
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी	
दावा			दावा	
स्टाम्प			स्टाम्प	

Contd--2

बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
---	--	--	---	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Smd

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यालय मजिस्ट्रेट
बस्सी